

© :773 774 6465

www.LinkingLaws.com



MP JUDICIAL SERVICE MAINS EXAMINATION, 2018 CIVIL LAW

CONSTITUTION OF INDIA / भारत का संविधान

- 1.(a) Describe the right to life and personal liberty, whether death sentence is violative of Article-21? How the right to life and personal liberty, quaranteed by Article 21, may be curtailed? / जीवन एंव दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। क्या मृत्युदण्ड अन्च्छेद 21 के उल्लंघन में है? अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्याभृत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधकार को कैसे छीना जा सकता है?
- 1(b) "A declaration of Fundamental Rights is meaningless unless there is effective judicial remedy for their enforcement." Comment. What are the judicial remedies which the Constitution provides? Explain in brief. "मुल अधिकारों की घोषणा मात्र ही कोई महत्व नहीं रखती जब तक कि उनके प्रवर्तन के लिए प्रभावकारी न्यायिक उपचार न हो।" टिप्पणी कीजिए। इस संबंध में संविधान द्वारा प्रवधानित न्यायिक उपचार क्या है? संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

- 2.(a) Define (2 numbers for each) / परिभाषित कीजिए (प्रत्येक हेतु 2 अंक)
 - (A) Legal representative / विधिक प्रतिनिधि
 - (B) Mesne profits / अन्त:कालीन लाभ
 - (C) Decree / डिक्री
 - (D) Order / आदेश
- 2.(b) Whether any change in the interpretation of relevant provision of law permits the parties to re-agitate matters which have been finally decided by a Court of competent jurisdiction? / क्या विधि के प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या में हुआ कोई बदलाव पक्षकारों का ऐसे मामलों को फिर से विवादित करने की अनुमति देता है जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निराकृत किये जा चुके हैं?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882 / संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

- 3.(a) Explain the right of redemption of a mortgagor. Whether a mortgagor can seek partial redemption? / एक बंधककर्त्ता के मोचन अधिकार की व्याख्या कीजिए। क्या एक बन्धनकर्त्ता आंशिक मोचन कर सकता है?
- 3.(b) Section 5 of Transfer of Property Act provides that expression "transfer of property" means an act by which a living person conveys property, in present or in future, to one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons:– / धारा 5 संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रावधानित करती है कि संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसक द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण, संपत्ति का अन्तरण करना है:-
 - (i) Whether family arrangement is transfer? / क्या पारिवारिक व्यवस्था अन्तरण है?
 - (ii) Whether surrender is amounts to transfer? / क्या राशि का समर्पण अन्तकरण है?
 - (iii) Whether an Idol is a living person? / क्या मूर्ति जीवित व्यक्ति है?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1882

- 4.(a) What will be the place for the performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance?
 - Please give example. What will be the time for performance of promise, where no application is to be made and no time is specified? Please clarify legal provision.
 - वचन के पालन के लिए स्थान क्या होगा, जहां कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियम न हो? कपया उदाहरण दें। वचन के पालन के लिए समय क्या होगा, जहां कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो? कृपया विधिक प्रावधान स्पष्ट करें।
- 4.(b) What are the obligations which the law creates in the absence of the agreements? Explain with concerning sections, with the help of illustrations. / वे कौन–सी बाध्याएं है, जो करार के अभाव में विधि द्वारा सृजित है? संबंधित धाराओं एवं दृष्टान्तों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 / विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963







(:773 774 6465 www.LinkingLaws.com

Link Life with Law

- 5.(a) What is the position of law regarding specific performance of part of Contract? / संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन के संबंधि में विधि की क्या स्थिति है?
- 5.(b) To whom and in which conditions court can grant declaratory decree? What is the effect of declaration? / घोषणात्मक अनुतोष्ज्ञ की डिक्री किसे व किन परिस्थितियों में दी जा सकती है?

LIMITATION ACT, 1963 / परिसीमा अधिनियम, 1963

6. Time commences to run the moment the right to sue accrues. State the exceptions, if any to the above rule. / जिस क्षण वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रारंभ होता है, उसी क्षण समय का बीतना प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त नियम के यदि कोई अपवाद हो तो उनका उल्लेख कीजिए।

MIXED / मिश्रित

- 7. Write short-notes on:- / संक्षिप्त टिप्प्णी लिखिये-
- Onerous Gifts. / दुर्भर दान 1.
- Distinction between fraud and misrepresentation. / कपट एंव दुर्व्यपदेश में भेद 2.
- 3. Colourable legislation. / आभासी विधायन

SECOND PAPER

- Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics: निम्नलिखित सामाजिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:-
 - (i) National Citizen Register (NCR) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर
 - (ii) Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics: 2. निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :
 - Concept of NOTA (None of the Above) नोटा (उपरोक्त में कोई नहीं) की अवधारणा
 - (ii) **Constitutionality of Section 377 IPC** धारा 77 भादं.वि. को संवैधानिकता
- 3. Summarize the one of the following English /Hindi passage -निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए -

It is very easy to acquire bad habits, such as eating too many sweets or too much food, or drinking too much fluid of any kind, or smoking. The more we do a thing, the more we tend to like doing it; and, if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against.

Habits which may be very good only done from time to time, tend to become very harmful when done too often and too much. This applies even to such good habits as work or rest. Some people from a bad habit of working too much, and others of idling too much. The wise man always remembers that this is true about himself, and checks any bad habit. He says to himself. "I am now becoming idle." or "I like too many sweets" or "I smoke too much" and then adds." I will get myself out of this bad habit at once."

One of the most widely spread of bad habits is the use of tobacco. Tobacco is now smoked or chewed by men, often by women, and even by children, almost all over the world. It was brought into Europe from America by Sir Walter Raleigh, four centuries ago, and has thence spread everywhere. I very much doubt whether there is any good in the habit, even when tobacco is not used to excess; and it is extremely difficult to get rid of the habit when once it has been formed.

Alcohol is taken in almost all cool and cold climates, and to a very much less extent in hot ones. Thus, it is taken by people who live in the Himalaya Mountains, but not so much by those who live in the plains of India. Alcohol is not necessary in any way to anybody. Millions of people are beginning to do without it entirely. When once the United States of America have passed laws which forbid its manufacture or sale throughout the length and breadth of their vast country, then in India it is not required by the people at all, and should be avoided by them altogether. The regular use of alcohol, even in small quantities, tends









(:773 774 6465 : ...

www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

to cause mischief in many ways to various organs of the body. It affects the liver, It weakens the mental powers, and lessens the general energy of the body.

अथवा / OR

- बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, जैसे कि बहुत सारी मिठाई या बहुत खाना खाने या किसी भी तरह के तरल पदार्थ को बहुत मात्रा में पीना या थूम्रपान करना। जितना अधिक हम कोई कार्य करते हैं, उतना ही हम इसे करना पसंद करते हैं. और अगर हम इसे जारी नहीं रखते हैं तो आप्रसन्न महसूस करते हैं। इसे आदत की शक्ति कहा जाता है और इस आदत की शक्ति के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए।
- आदतें, जो समय-समय पर बहुत अच्छी हो सकती हैं, जब प्रायः और अत्यधिक की जाती है तो वे हानिकारक हो जाती हैं। यह बात काम या आराम जैसी अच्छी आदतों पर भी लागू होती है। बहुत से लोग अत्यधिक कार्य करने की बुरी आदत अपनाते हैं और दूसरे अत्यधिक सुस्त रहने की आदत अपनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव यह याद करता है कि उसके लिये क्या सही है तथा बरी आदतों को अपनाने से स्वयं को रोकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा याद करता है कि "मैं सुस्त हो रहा हँ" या "मैं कई मिठाई खाना पसंद करता हँ" या "मैं अत्यधिक धूम्रपान करता हँ" और आगे कहता है "मैं खुद को इस बुरी आदत से एक बार में निकाल लूंगा।"
- इन बुरी आदतों में तम्बाकू के उपयोग का व्यापक रूप से फैलाव है। अब पुरूषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी दुनिया भर में तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान या चबाकर किया जाता है। इसे चार शताब्दियों पहले सर वाल्टर रालेघ द्वारा यूरोप में अमेरिका से लाया गया था और वहाँ से यह हर जगह फैल गया। इस आदत में कुछ भी अच्छा होने के संबंध में मुझे अत्यधिक संदेह है, भले ही तम्बाकू का अत्यधिक उपयोग न किया जाये और यदि एक बार यह आदत पड़ जाये तो उससे छुटकारा पाना अत्यधिक कठिन है।
- शराब को लगभग ठण्डे एवं शीत वातावरण में लिया जाता है और गर्मियों में बहत कम मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार, यह उन लोगों द्वारा लिया जाता है जो हिमालय पर्वतमाला में रहते हैं, लेकिन भारत के मैदानों में रहने वाले लोगों के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में नहीं लिया जाता है। शराब किसी के लिये किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। लाखों लोग पूरी तरह से इसके बिना कार्य शुरू कर रहे हैं। जब एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विशाल लम्बाई चौड़ाई के देश में इसके निर्माण एवं विक्रय को पूरी तरह से रोकने का कानून पास कर दिया है, तब भारत में लोगों को शराब की आवश्यकता नहीं है और उन्हें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। छोटी मात्रा में भी अल्कोहल का नियमित उपयोग, शरीर के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से नुकसान पहुँचाता है। यह यकृत को प्रभावित करता है, यह मानसिक शक्तियों को कमजोर करता है और शरीर की सामान्य ऊर्जा को कम करता है।
- Translate the following 15 Sentences into English: 4. निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्नेजी में अनुवाद कीजिए:
- (1) याची ने दो आपराधिक प्रकरणों से संबंधित जानकारी को छिपाया था जिसमें उसे अभियोजित किया गया है।
- पुलिस बल में अनुशासन की प्रकृति एवं मानक को बनाए रखा जाना आवश्यक है इस बिन्दु पर विचार करते हुए प्रत्यर्थीगण का आदेश त्रुटिपूर्ण (2) नहीं पाया जा सकता है।
- अपीलार्थी द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षा का सहारा लिया जाना आवश्यक नहीं है परन्तु परिस्थितियों से उसके द्वारा यह यह सिद्ध किया जा सकता है (3) कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त कृत्य किया था।
- क्षतियां संयुक्त रूप से सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने हेतू पर्याप्त थीं परन्तु उक्त क्षतियों में से कोई भी क्षति मृत्यु कारित करने हेतू पृथक (4) रूप से पर्याप्त नहीं थी।
- (5) शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार बदला लेने के लिये नहीं होता है।
- यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सकीय परीक्षण किसी महिला डाक्टर द्वारा ही किया जायेगा। (6)
- अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी को उसके निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को अभिलिखित करना चाहिए। (7)
- लाभ में भाग प्राप्त करना साझेदारी की विद्यमानता का निश्चायक सबूत नहीं है। (8)
- केन्द्र सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिये विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। (9)
- (10) शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक वह सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है,किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।
- (11) शहीद भगत सिंह के अमर बलिदान की कहानी विश्वव्यापी हो गई है।
- उसने न केवल काम किया बल्कि पैसे भी नहीं लिये। (12)
- (13) यह खेदजनक बात है कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक अनाज होते हुए भी यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं।
- तुम्हें यह अजीब लग सकता है परंतु यह सत्य है। (14)
- शासन के पक्ष में उपलब्ध उपधारणा किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में उपलब्ध नहीं (15)
- Translate the following 15 Sentences into Hindi: 5. निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए:
- (1) Question of the validity of sanction has not been pursued at the time of Pendency of the trial.
- (2) Freedom of speech, expression and press lies at the root of all democratic organization.
- (3) National Anthem is regarded as honour and symbol of sovereignty of India.
- (4) Not only initial impossibility renders an agreement void but subsequent impossibility also renders a contract void.









(:773 774 6465 C

www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

- The parties may submit all documents alongwith their statements they consider to be relevant.
- Judges in modern democratic states always function without fear and any hope of favour.
- The blood stained cloths and knife produced in the case be destroyed after the period of appeal.
- (8) The seized notes were not properly sealed.
- (9) Every original order passed by a Revenue Officer in any proceedings shall contain a concise statement of
- (10) The boy who had punished for stealing a book twenty years back, today he has been sentenced to capital punishment.
- (11) On hearing of the severe sentence passed by the magistrate, the accused began to cry loudly and bitterly.
- (12) Nevertheless, it is true that male orchestral players are in an overwhelming majority.
- (13) Innumerable people have died due to food poisoning and consumption of spurious liquor.
- (14) There is a dire need of economic reforms to improve the stagnating economic condition of the country.
- (15) The mediator shall be guided by principles of fairness and Justice.

THIRD PAPER M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961 मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

- 1.(a) Discuss the circumstances in which a tenant can get the benefit of protection against eviction under section 13.
 - उन परिस्थितियों को विवेचित करें जिसमें धारा 13 के अन्तर्गत किरायादार बेदखली से संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है?
- 1.(b) Who are the land owners in relation to section 23A Accomodation control Act? Please explain about special provision for eviction of tenant on ground of bonafide requirement under Section 23A? स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 क के संबंध में भूमि स्वामी कौन होते हैं? कृपया वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धारा 23क के अंतर्गत अभिधारी की बेदखली के लिए विशेष उपबंध की व्याख्या करें।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

- 2.(a) Elaborate the provisions of presumption as to entries in land record under M.P. Land Revenue Code, 1959. Whether wrong or incorrect entry in land record can be corrected? मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत भू–अभिलेखों की प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा के प्रावधान का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या भू-अभिलेखां में की गई गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जा सकता है?
- 2.(b) What is the provision regarding service Land under M.P.L.R.C., 1959? सेवा भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत क्या प्रावधान है?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972

- 3.(a) Is birth during marriage, conclusive proof of legitimacy? What is presumption as to abetment of Suicide by married women? What is presumption as to dowry death? क्या विवाहित स्थिति में जनम होना धर्मजत्व का निश्रायक सबत है? किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के द्रष्प्रेषण के संबंध में क्या उपधारणा है? दहेज मृत्यु की क्या उपधारणा है?
- 3.(b) What is difference between Admission and confession? Under what circumstances and up-to what extent the confession made by an accused can be used in evidence against Co-accused? स्वीकृति एंव संस्वीकृति में क्या अंतर है? किन परिस्थितियों में एवं किस सीमा तक एक अभियुक्त द्वारा गई संस्वीकृति दूसरे सह–अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लायी जा सकती है?

INDIAN PENAL CODE 1860 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Page - 4

4.(a) Define Criminal Intimidation? How Criminal Intimidation is different from extortion? आपराधिक अभित्रास को परिभाषित कीजिए। आपराधिक अभित्रास उद्दापन से किस प्रकार भिन्न है?







(:773 774 6465 : ...

www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

- 4.(b) State with reasons, what offence if any, has been committed by 'A' in following cases?
- 'A' finds valuable ring on the road. He picks it up and sell immediately?
- 'A' cause cattle to enter upon a field belonging to 'B' intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to the crop of 'B'.
- (iii) 'A' flew away with an aeroplane without permission of authorities however he restored the aeroplane at its place a day after.
- 'A' enters in B's house at midnight 'with intention of committing theft', But moved away by poverty of B, (iv) he kept Rs. 50/- in house and left away. निम्न बताई गई परिस्थितियों में 'क' के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया तो कौनसा अपराध किया गया, सकारण बताइए:–
- 'क' को सड़क पर एक मूल्यवान अंगूठी मिलती है, 'क' उसे उठाकर तुरंत बेच देता है। (i)
- 'क' इस आश्य से और यह संभाव्य जानते हए किह वह 'ख' की फसल को नृकसान कारित करे 'ख' के खेत में मवेशियों काप्रवेश कारित कर (ii)
- (iii) बिना अधिकारियों की अनुमति के 'क' एक हवाई जहाज को उडाकर ले गया, दूसरे दिन उसने हवाई जहाज को यथास्थान रख दिया।
- 'क' चोरी करने के आशय से 'ख' के घर में अर्घरात्रि में प्रवेश करता है किन्तु 'ख' की स्थिति से द्रवित होकर वह 'ख' के मकान में 50/–रुपये रखकर बाहर आ जाता है।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

- 5.(a) What is the procedure of recording evidence in absence of accused? Whether the evidence adduced in trial of co-accused can be used against the absconding accused of same case? अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लेखबद्ध करने की क्या प्रक्रिया है? क्या सहअभियुक्त के विचारण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य उसी विचारणके दूसरे फरार अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग में जी जा सकती है?
- 5.(b) Define Charge. Can a court alter charge? If so, under what circumstances and upto what stage? आरोप को परिभाषित कीजिए। क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? यदि हां, तो किन परिस्थितयों में और किस प्रक्रम तक?

NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT. 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. What are the new amended provision regarding interim compensation? How can an offence by compounded by trial court and by appellate court? अंतरिम प्रतिकर से संबध्त नवीन संशोधन क्या है? विचारण न्यायला एवं अपील न्यायालय द्वारा एक अपराध में शमन कैसे किया जा सकता है?

> MIXED मिश्रित

- 7. Write short-notes on:-
- 1. Difference between riot and affray.
- 2. Rule of burden of proof.
- 3. **Dying declaration**

संक्षिप्त टिप्प्णी लिखिये-

- बलवा एंव दंगा में अंतर 1.
- साबित करने के भार का नियम 2.
- मृत्युकालीन कथन

FOURTH PAPER SETTLEMENT OF ISSUES

विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Settle the issues on the basis of the pleadings given here under -

www.LinkingLaws.com

© Get Subscription Now


PLAINTIFF'S PLEADINGS:- In the present case plaintiff has sought ejectment against defendant on the ground that defendant is in possession of two rooms & one kitchen in capacity of tenant of plaintiff and plaintiff is in need of tenanted premise for his own use. This house is situated at "C" scheme Jabalpur and plaintiff is residing in the same house alongwith his family and whereas defendant is also tenant in a segment of such house paying rent @ Rs. 1000/- per month.







©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com











© :773 774 6465

www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

WRITTEN STATEMENT:- The defendant has pleaded accommodation available to the plaintiff is sufficient for him. Plaintiff wants to eject the defendant as the rents have been increased in vicinity and Plaintiff wants to get the undue advantage. Defendant is tenant in premise since 1968 and making regular timely payment of rent. The notice of ejectment given by plaintiff is illegal.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – इस वाद में वादी ने प्रतिवादी की बेदखली इस आधार पर चाही है कि मकान के दो कमरे और एक रसोई प्रतिवादी के पास है जिनकी आवश्यकता वादी को अपने उपभोग के लिए है। यह मकान "C" स्कीम जबलपुर में स्थित है और उसमें वादी अपने परिवार के साथ रहता है और उसी मकान का एक हिस्सा प्रतिवादी के पास 1000 रू. माहवार किराये पर है।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादी का अभिवचन है कि वादी के पास पर्याप्त मकान है ओर बेदखली वादी इसलिए चाहता है कि मकानों के किराये बढ़ गये है और इसका वह अनुचित फायदा उठाना चाहता है। प्रतिवादी 1968 से किरायेदार है और उसने यथासमय किराया अदा किया है। वादी ने जो बेदखली का नोटिस दिया है वह अवैध है।

FRAMING OF CHARGES

आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.-

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS - The prosecution case is that 'A' lives in a residential blocks of H.E.L Colony Bhopal. On 01-05-2017, after his dinner at 10:00 p.m., 'A' locked his house and went to attend a marriage in the adjacent colony. After marriage ceremony was over 'A' returned back to his house at 03:00 a.m. and found that someone had broken the lock of his house and removed his new Hero bicycle frame no H-5394. 'A' rushed to police station and lodged First Information report.

During investigation sub-inspector 'B' came to know from 'C' that on the date of incident in mid night 'D' was noticed near to house of 'A'. 'D' was taken into custody and he had given a memorandum statement that the bicycle is in his possession kept by him inside his room. Sub inspector 'B' prepared the memorandum, signed by accused 'D' and witnesses 'E' and 'F'. In consequences of information received from 'D', Hero bicycle No H-5394 was recovered from his room in presence of accused 'D' and witnesses 'E' and 'F'. Seizure memo was prepared by S.I. 'B' and bicycle was sent to Executive Magistrate for get the same identified. Identification parade was conducted and 'A' identified the bicycle as his own.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये -

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :- अभियोजन का मामला यह है कि 'क' एच.ई. एल. कालोनी भोपाल के एक आवासीय खण्ड में निवास करता है। दिनांक 01. 05.2017 को रात्रि 10:00 बजे खाना खाने के पश्चात् 'क' अपने घर में ताला बन्द करने के पश्चात् पडोस की कालोनी में एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए चला गया। विवाह समारोह होने के पश्चात 'क' प्रातः 03:00 बजे अपने घर लौटा। जब वह अपने घर आया तब उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने उसके घर का ताला तोड़ दिया था और घर के अन्दर से उसकी नई हीरो साइकिल फ्रेम संख्या एच-5394 ले गया है। 'क' भागकर पुलिस थाना गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी।

अन्वेषण के दौरान उपनिरीक्षक 'ख' को 'ग' से यह ज्ञात हुआ कि घटना की तिथि पर मध्य रात्रि में 'घ' को 'क' के घर के आस-पास देखा गया था। 'घ' को अभिरक्षा में लिया गया और 'घ' ने फर्द बयान दिया कि साइकिल उसके कब्जे में है और अपने कमरे के अंदर रख दिया है। उपनिरीक्षक 'ख' ने साक्षीगण 'ङ' तथा 'च' व अभियुक्त 'घ' की उपस्थिति में 'घ' से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप 'घ' के कमरे के अन्दर से हीरो साइकिल फ्रेम संख्या एच-5394 बरामद की थी। फर्द बरामदगी तैयार की गई तथा साइकिल को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया ताकि इसकी शिनाख्त कराई जा सके। शिनाख्त परेड कराई गई तथा 'क' ने बरामद की गई साइकिल को अपनी साइकिल के रूप में शिनाख्त की।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)

निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

- Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts:-Plaintiff's Pleadings:-
- (1) Plaintiff filed the suit for specific performance with the averments that the defendant is owner of agriculture land measuring 3 acre bearing survey No 109 situated at Manda tehsil Hujur Dist. Rewa. Defendant was in need of money as plaintiff entered in an agreement to sale dated 24 April, 2013 with the
- (2) Total sale consideration agreed was 10 lacs per acre. Plaintiff had made the payment of Rs. 20 lacs in advance to the defendant at time of agreement and it was agreed between them that the defendant will execute sale deed in favour of plaintiff on or before 26/11/2013 expenditure borne by plaintiff whereas









() :773 774 6465 www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

plaintiff shall pay rest consideration amount to defendant at the time of registration. It was further agreed between the Parties that if plaintiff fails to purchase the land in question, the advance given by plaintiff would be forfeited and in case the defendant is fails to execute sale deed in favour of plaintiff, defendant will return the advance amount 20 lacs and further Rs. 5 lacs shall be given to plaintiff by defendant. It is further agreed that the possession shall be delivered at the time of registration. It is further agreed that agreement will having binding effect on the legal heirs and successors and assigns of parties. The agreement further stipulated a condition that defendant will execute sale deed of land free from any dispute and lien etc. In case of any dispute, the time of limitation to perform agreement will not take effect and defendant shall executed sale deed in favour of plaintiff within 6 month from the settlement of such dispute.

- In month of Oct, 2013 plaintiff asked defendant to execute sale deed as he was ready to pay rest consideration amount but defendant does not pay any heed to the request of plaintiff. On 3rd Nov 2013, the plaintiff met with defendant and asked him to execute sale but defendant ignored his request. Plaintiff also came to know that there is a litigation between defendant and his brother in Revenue Court, in which brother of defendant has challenged mutation of disputed land in the name of defendant. Finally litigation ended in August 2016 in favour of defendant. The plaintiff asked to defendant to execute sale deed in his favour but defendant refused to do so. Thereafter, the plaintiff served a notice through his counsel and asked defendant to be present in registrar office on 28th Dec, 2016 to receive his rest amount and execute sale deed.
- (4) Plaintiff went with consideration amount in office of registrar on 28/12/2016 and was remained available there till 5 O'clock but defendant did not turned.
- Plaintiff has claimed reliefs to issue direction to defendant to receive remaining amount and execute sale (5) deed in favour of plaintiff and he also be directed to bear the cost of litigation. In alternative relief to return Rs. 20 lacs alongwith interest and adequate damage also has claimed by plaintiff.

Defendant's Pleadings:-

(1) The defedent has denied the contents of pleading of plaintiffs and submitted that the fault is not his part but on the part of plaintiff. He has further submitted that plaintiff had contacted to the defendant in month of Oct 2013 or On 3rd Nov 2013 and asked him to execute sale deed and receive balance amount but defendant did not pay any heed to the request of plaintiff. In fact, the plaintiff had no money as he had never served any notice to defendant. Dispute relating to mutation is not concerned with the plaintiff. The disputed land was in name of defendant and he was ready to perform his part of contract but plaintiff had no money with him. In fact, the defendant had contacted to the plaintiff on 23rd Nov. 2013 and asked him to get registered sale deed in his favour after payment of remaining sale consideration whereas plaintiff said to defendant that value of properties are decreasing. He suffered losses in a deal of land with someone Mr. Anil Singh, and he has no money to pay. As far as concern to the mutation proceedings, it was started on the instance of plaintiff as he had instigated his brother and help him to file frivolous litigation against him which ultimately ended in his favour. Plaintiff had sent a notice dated Dec, 2016 which was duly replied by his counsel. The defendant has also submitted that he has no knowledge that whether plaintiff was present in the office of registrar or not on 28 Dec, 2016. However, it is made clear that plaintiff had no money or he was not interested to get registered sale deed till Jan 2014. He has prayed that Plaintiff is not entitled to any relief. Suit is time barred and is liable to be dismissed with exemplary cost.

Plaintiff's Evidence:-

- (1) Plaintiff filed documents Ex.P-1 to Ex-P-7 which are certified copies of Khasra Panchsala to support their case in which name of defendant has been recorded as owner. He also filed original agreement to sale and defendant admitted his signature on it. He also has filed notice dated Dec. 2016 and reitriated its contents.
- (2) PW-2 is witness of agreement to sale who deposed that agreement to sale was written in his presence and parties to the agreement and he had signed the same. Plaintiff had given a cheque for sum of Rs. 20 lacs to defendant. Plaintiff had also filed his bank account pass book which shows that the plaintiff had sufficient money in his account at relevant time.
- (3) He has filed certified copy of the register maintained at Registrar office which shows that plaintiff was present at Registrar office on 28/12/2016. He has also filed certified copies of mutation proceedings which reveal that the brother of defendant had filed appeal against mutation. It is also reveals by documents that mutation order in favour of defendant was in Ex-parte order.







www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

- He denied suggestion that at his instigation defendant's brother filed appeal against mutation. He also denied that he had no money. He also denied that he did any land deal with Mr Anil Singh in which he had
- (5) He has also admitted that he did not send any notice before Dec, 2016, but he explained that he came to know about dispute between defendant and his brother on 5/11/2013 as he had not sent notice and sent only after ended the litigation.

Defendant's Evidence:-

Defendant entered into witness box and in his examination in chief, he has supported his case. He has not filed any documents. He has admitted that plaintiff had given Rs. 20 lacs cheque which was credited in his account. He also has admitted that there was a litigation pending in Tehsil between him and his brother and he also admitted litigation was pending before the date of execution of sale deed in favour of plaintiff. He has also admitted that plaintiff is not known to his brother. In cross examination he admitted that on 23/11/2013 plaintiff was out of station. He also admitted that land price had risen almost twice but denied that it is the reason to not execute sale deed by him.,

Arguments of Plaintiff:-

Plaintiff was always willing and ready to perform his part. He has argued that he had made maximum part of consideration then why he will not pay rest of the amount. Moreover, his bank account proves that plaintiff had sufficient money to pay. As per contract, in case of any litigation then time mentioned in agreement will not be essence of contract. As the defendant was in litigation with his brother and as per contract after ending of litigation in favour of defendant, he had served notice to defendant within six month. He had served notice and warranted defendant to execute the sale deed, He was also waiting at Registrar office but defendant did not come to execute sale deed. He had done his best but escalation of price made the defendant's intention dishonest. Neither suit is barred by limitation nor defendant be permitted to refute the agreement to sale.

Arguments Defendant:-

Plaintiff was never given any notice within stipulated period of contract. Time was the essence of the contract. Suit is barred by limitation. It is further argued that agreement to sale makes a provision that in case of the defendant will not execute sale deed in favour of plaintiff then he will return Rs. 25 lacs to the plaintiff, therefore, defendant cannot be compel to execute sale deed.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये -

वादी के अभिवचन:

- वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए इस अभिवचन के साथ दावा प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि सर्वे नं. 109 स्थित मौजा माड़ा तहसील हजुर जिला रीवा क्षेत्रफल 3 एकड प्रतिवादी के स्वामित्व की है। प्रतिवादी को पैसे की आवश्यकता थी, उसने प्रतिवादी के साथ दिनांक 24.4.2013 को विक्रय का अनुबंध किया।
- कुल प्रतिफल 10,00,000/-रूपये प्रतिएकड़ के हिसाब से निर्धारित हुआ। वादी ने 20,00,000/-रूपये अग्रिम अनुबंध निष्पादित होने के समय प्रतिवादी को दिये और यह शर्त तय हुई कि दिनांक 26 नवम्बर 2013 को या उसके पहले प्रतिवादी, वादी के पक्ष में उसके खर्चे पर विक्रय पत्र निष्पादित कर देगा और वादी पंजीकरण के समय शेष राशि प्रतिवादी को प्रदान करेगा। ये शर्त भी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निर्धारित हुई कि यदि वादी भूमि को क्रय नहीं करता तो उसके द्वारा दी गयी अग्रिम राशि जप्त कर ली जायेगी और यदि प्रतिवादी, वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करता तब वह 20.00.000/-रूपये जो अग्रिम दिये गये हैं एवं 5.00.000/-रूपये वादी को वापस कर देगा। ये भी निर्धारित हआ कि कब्जा पंजीकरण के समय प्रदान किया जायेगा। आगे ये भी निर्धारित हुआ कि करार दोनों ही पक्षों के वैध प्रतिनिधियों के उत्तराधिकारियों और समनुदेशियों पर भी बंधनकारी रहेगा। करार में यह भी शर्त थी कि प्रतिवादी समस्त विवादों से मुक्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित करेगा और यदि यह पाया जाता है कि कोई विवाद है तो करार में दर्शित समय सीमा बंधनकारी न होगी और उक्त विवाद के निपट जाने के 6 माह के भीतर प्रतिवादी, वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा।
- अक्टूबर 2013 के महीने में वादी ने प्रतिवादी से कहा कि वह विक्रय पत्र निष्पादित कर दे, वह शेष राशि देने को तैयार है, परन्तु प्रतिवादी ने नहीं सुना। 3 नवम्बर 2013 को वादी पुन: प्रतिवादी से मिला और उससे कहा कि विक्रय पत्र निष्पादित करा दे लेकिन उसने वादी के प्रार्थना को अनसुना कर दिया। वादी को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी का अपने भाई के साथ राजस्व न्यायालय में विवाद चल रहा है। उसके भाई ने प्रतिवादी के पक्ष में हुए नामांतरण को चनौती दे रखी है। अंततः वह विवाद अगस्त 2016 में प्रतिवादी के पक्ष में निराकृत हुआ। वादी ने पुनः प्रतिवादी से कहा कि वह विक्रय पत्र निष्पादित कर दे परन्तु उसने करने से इंकार कर दिया, तब वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को एक नोटिस दी कि दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को वह रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित रहे और शेष प्रतिफल की राशि लेकर विक्रय पत्र निष्पादित करे।
- वादी प्रतिफल की राशि को लेकर रजिस्ट्री आफिस दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को गया और शाम 5:00 बजे तक रहा परन्तु प्रतिवादी नहीं आया।





© Get Subscription Now



www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

वादी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी को निर्देशित किया जाय कि वह शेष राशि लेकर उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करे तथा मुकदमे का खर्च भी प्रतिवादी से दिलाया जाय। विकल्प में 2000.000/- रूपये मय ब्याज एवं उ क्षतिपूर्ति के साथ दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी के अभिवचन :

- प्रतिवादी ने वादपत्र के अभिवचनों को इंकार करते हये यह अभिवचन किया कि त्रटि उसकी ओर से नहीं अपित वादी की ओर से हई है। उसने 1. आगे यह भी निवेदन किया कि वादी अक्टूबर 2013 या 03 नवम्बर 2013 को प्रतिवादी से मिला और उससे कहा कि उसके पास पैसा तैयार है, वह राशि लेकर उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करे और प्रतिवादी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम पर थी और वह अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार था किंतु स्वयं वादी के पास पैसे नहीं थे। वास्तव में प्रतिवादी ने वादी से 23 नवंबर 2013 को संपर्क कर उससे कहा कि वह रजिस्ट्री करा ले और प्रतिफल की शेष राशि दे दे तब वादी ने प्रतिवादी से कहा कि भूमि की कीमत गिर रही है। एक सौदा उसने अनिल सिंह नामक व्यक्ति से किया था जिसमें उसे काफी घाटा हो गया है, उसके पास राशि नहीं है। जहाँ तक नामांतरण प्रक्रिया का प्रश्न है वह वादी के ही उकसाने पर और उसकी मदद से असत्य मामला उसके भाई ने प्रस्तुत किया जो कि अंततः उसके पक्ष में निराकत हुआ। वादी ने दिसम्बर 2016 में एक नोटिस अवश्य भेजा था जिसका उचित उत्तर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है।
- प्रतिवादी का यह भी अभिवचन था कि दावे की कंडिका 4 में वर्णित तथ्य का ज्ञान प्रतिवादी को नहीं है कि वादी रजिस्ट्रार आफिस में दिनांक 28 2. दिसम्बर 2016 को उपस्थित था या नहीं, किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी के पास कोई पैसा नहीं था अथवा वह जनवरी 2014 तक रजिस्ट्री कराने के लिए इच्छुक नहीं था। प्रतिवादी ने यह प्रार्थना की है कि वादी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है । वाद समयाविध बाधित है इसलिये इसे क्षतिपूरक परिव्यय लगाकर निरस्त किया जाये ।

वादी की साक्ष्य:

- वादी ने प्र.पी.1 से लेकर प्र.पी.7 खसरा पंचशाला की सत्य प्रतिलिपि अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवादी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उसने मूल विक्रय अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। दिसम्बर 2016 में दी गयी नोटिस भी प्रस्तुत की और उसके तथ्यों का समर्थन किया।
- 2. (वादी साक्षी क्र.2) विक्रय अनुबंध का साक्षी है। उसने यह कथन किया कि विक्रय अनुबंध उसके समक्ष लिखा गया। वादी और प्रतिवादी ने उस पर उसके सामने हस्ताक्षर किये और उसने भी उस पर अपने हस्ताक्षर किये। वादी ने 20,00,000/-रूपये का चेक प्रतिवादी को दिया। वादी ने अपने बैंक एकाउंट की पास बुक भी प्रस्तुत की जो यह दर्शित करता है कि सुसंगत समय पर उसके पास पर्याप्त रकम थी।
- वादी ने रजिस्टार आफिस में संधारित रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो यह दर्शित करता है कि दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को वादी 3. रजिस्ट्रार आफिस में उपस्थित था। उसने नामांतरण संबंधी कार्यवाहियों की भी सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जिससे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी के भाई ने नामांतरण के विरूद्ध 20 जून 2013 को अपील प्रस्तुत कर दी थी। इन दस्तावेजों से भी प्रकट होता है कि प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय रूप से की गयी थी।
- वादी ने इस तथ्य को भी इंकार किया है कि उसके उक्साने पर प्रतिवादी के भाई ने नामांतरण के विरूद्ध अपील फाइल की थी। उसने इस सुझाव 4. को भी इंकार किया कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने इस सुझाव को भी इंकार किया कि अनिल सिंह से उसका कोई करार था और उसमें उसको घाटा हआ।
- वादी ने यह स्वीकार किया कि उसने दिसम्बर 2016 के पहले कोई नोटिस नहीं भेजी. परन्त उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि 5 नवम्बर 2013 को ही उसको यह जानकारी हो गयी थी कि प्रतिवादी एवं उसके भाई के मध्य विवाद चल रहा है, इसीलिए उसने नोटिस नहीं भेजी और जैसे ही विवाद समाप्त हुआ, उसने प्रतिवादी को नोटिस भेजी।

प्रतिवादी की साक्ष्य:

प्रतिवादी साक्ष्य हेत् उपस्थित हुआ। उसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने मामले को समर्थित किया। उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। उसने यह स्वीकार किया कि वादी ने उसे 20,00,000/-रूपये का चेक दिया था जो उसके खाते में भूगतान हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके तथा उसके भाई के मध्य तहसील न्यायालय में विवाद रजिस्ट्री कराने के निर्धारित समय के पहले से लंबित था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी, प्रतिवादी के भाई को नहीं जानता। उसने यह भी स्वीकार किया कि 23 नवम्बर 2013 को वादी शहर के बाहर था। उसने यह भी स्वीकार किया कि भूमि की कीमत लगभग दोगुनी हो गयी है लेकिन इस बात से इंकार किया कि इसी कारण से वह विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर रहा है।

तर्क वादी:

वादी की ओर से तर्क किया गया कि वादी हमेशा अनुबंध के पालन के लिए इच्छुक एवं तत्पर रहा। उसने प्रतिफल के अधिकतम भाग भुगतान कर दिया तो वह शेष भाग क्यों भुगतान नहीं करेगा? उसके बैंक एकाउण्ट यह प्रमाणित करते हैं कि उसके पास पर्याप्त धन था। संविदा के अनुसार यह निर्धारित था कि यदि यह पाया जाता है कि कोई विवाद लंबित है तो अनुबंध में दर्शित समय सीमा संविदा का सार न होगी। चूंकि प्रतिवादी अपने भाई के साथ विवाद में संलिप्त था, संविदा के अनुसार जैसे ही विवाद समाप्त हुआ उसके 6 माह के भीतर उसने प्रतिवादी को नोटिस भेजा और उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने की मांग की, वह रजिस्ट्री आफिस में भी प्रतिवादी का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रतिवादी नहीं आया। उसने अपने भाग का पुरा पालन किया, परन्तु भुमि की कीमत बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी की नीयत खराब हो गयी। न तो दावा समय बाधित है और न ही प्रतिवादी को विक्रय संविदा की शर्तों से इंकार करने की अनुमति दी जा सकती है |

तर्क प्रतिवादी:





() :773 774 6465

www.LinkingLaws.com



वादी ने कभी कोई नोटिस संविदा में वर्णित निर्धारित समय में नहीं दी। समय संविदा का मर्म था। दावा समय बाधित है। ये भी तर्क किया गया कि विक्रय अनुबंध में ये प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करता तो 25 लाख रूपये वापस कर देगा, इसलिए प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC) निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (IMFC)

Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. Prosecution Case :- Prosecution story in brief, around 04:00 PM complainant 'A' came at P.S. Nagalwadi District Barwani and stated that on 14.11.2016 at about 03:45 PM., his brother 'D' came outside her house situated near middle school and demanded money. On refusal to give money, 'A' abused and used filthy words for her mother and sisters and caused razor blade injuries on her hand from which blood was oozing out. She also stated that 'D' also threatened to cause her death. Her mother 'B' and neighbor C had intervened. On the basis of her statement, ASI 'H' recorded First Information Report U/s 294, 323 and 506 IPC against 'D'.

Thereafter, investigation was conducted and during investigation 'A' was sent for medical examination. Razor blade was seized from 'D'. On chemical examination, presence of human blood was confirmed on razor blade. In medical examination incised wound of simple nature was found over right hand of 'A'. Statement of 'A' was recorded u/s 161 Cr.P.C. After completion of investigation charge sheet was filed.

Defence Plea:- Accused 'D' on was charged and pleaded not guilty and claimed him innocent.

Evidence for prosecution:- Evidence was adduced on behalf of Prosecution which substantially supported the case of prosecution. In court 'A' stated that on 14.11.2016 at about 03:45 PM., she was sitting outside her house along with her mother 'B' and neighbor 'C'. At the same time, accused 'D' came and demanded money from her and on refusal he uttered some filthy words and caused razor blade injury on her right hand. Blood was oozzing out of injury. 'B' and 'C' intervened and took her to P.S. Barwani. She admitted her signature on F.I.R. [P-1] and site spot map [P-2]. In her cross examination, she has admitted that she has taken Rs. 10,000/- loan form her brother which she has not re-paid yet also that no injury was caused on her left hand. She has denied false implication of 'D' in order to avoid repayment of loan amount.

Mother 'B' deposed that she was inside her home, on hearing hue and cry of her daughter she came out and saw blood on her daughter's hand and whereas 'D' was escaping from the spot.

Neighbour 'C' did not supported prosecution case and he was declared hostile.

'Doctor also supported the case of prosecution and deposed during medical examination he found an incised wound of .3x.5 inches on right hand of 'A' and multiple superficial incised wound over left forearm caused by Sharp edge object. As per doctor, injuries may be caused by sharp cutting object within 6 Hour of his examination for which his MLC report is EX P-3. In his cross examination he has denied the suggestion that injuries found on body of injured were self-inflicted.

I.O. 'H' has supported F.I.R. and incident site map [P-2] and seizer of razor blade.

Evidence for defence: The accused 'D' in his examination of 313 Cr.P.C. denied allegations against him and took a defense that in order to evade payment of loan money Rs. 10,000/- her sister has falsely implicated him.

Arguments of Prosecutor:- The prosecution has argued that the prosecution has proved its case beyond any reasonable doubt and charges against the accused have been proved. Hence accused is liable to be convicted.

Arguments of Defense Counsel:- On behalf of accused, it has been argued that there is no eye witness of incident. The testimony of complainant is doubtful. On account of loan transaction he has falsely been implicated. Hence be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्द बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -





© :773 774 6465

www.LinkingLaws.com



अभियोजन का प्रकरण :- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी 'ए' ने पुलिस थाना नांगलवाड़ी, जिला बड़वानी में शाम 4 बजे आकर यह बताया कि दिनांक 14.11.2016 को लगभग सायं 03:45 बजे उसका भाई 'डी' उसके घर जो कि मिडिल स्कूल के पास स्थित है, आया और बोला कि मुझे पैसे दो। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी 'डी' ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी एवं आरोपी ने उसके दोनों हाथों में रेजर पत्ती से मारा जिससे कि उसके हाथो से खून निकलने लगा। उसकी मां 'बी' तथा पड़ोस में रहने वाली 'सी' के द्वारा आकर बीच-बचाव किया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। फरियादी की सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक 'एच' के द्वारा एफआईआर अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. के तहत 'डी' के विरूद्ध दर्ज की गई।

प्रकरण विवेचना में लिया गया फरियादी 'अ' को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया। 'डी' से रेजर ब्लेड की जप्ती की गई। रेजर ब्लेड का रासायनिक परीक्षण कराने पर उस पर मानव रक्त होना पाया गया। मेडिकल परीक्षण में एक ही हाथ पर एक कटा हुआ घाव (इनसाइज्ड बुंड) होना पाया गया जो कि साधारण प्रकृति का होना पाया गया। धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :- अभियुक्त 'डी' ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया।

अभियोजन की साक्ष्य :- अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षियों के कथन कराए जिनके द्वारा सारभूत रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया। न्यायालय के समक्ष फरियादी 'अ' के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 14.11.2016 को 03:45 बजे जब वह अपने घर के बाहर अपनी मां 'बी' एवं पड़ोस की रहने वाली महिला 'सी' के साथ बैठी थी, उसी समय आरोपी 'डी' आया एवं पैसो की मांग करने लगा। उसने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने उसको अश्लील गालियां दी और उसके दाएं हाथ पर रेजर ब्लेड से चोट पहुंचाई। चोट लगने से उसके हाथ में खून निकलने लगा। 'बी' व 'सी' के द्वारा बीच-बचाव किया गया तथा उसे पुलिस थाना नांगलवाड़ी ले गए। एफआईआर प्र.प्री.-1 तथा नक्शा मौका प्र.प्री.-2 तथा उस पर हस्ताक्षर 'अ ने प्रमाणित किये । प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने अपने भाई 'डी' से 10 हजार रूपये उधार लिये थे जो कि उसने अभी तक वापस नहीं दिए हैं। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उसके बॉए हाथ में कोई चोट नहीं आई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि कर्ज की राशि वापस न देना पड़े इस कारण 'डी' को झूठा फंसाया गया है।

फरियादी की मां 'बी' के द्वारा यह बताया कि वह घर के अंदर थी और अपनी पुत्री की चिल्लाने की आवाज पर बाहर आई थी और उसने अपनी पुत्री के हाथ पर खून देखा था तथा आरोपी को भागते हुए देखा था। पड़ोसी 'सी' के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।

चिकित्सक के द्वारा अभियोजन पक्ष की पुष्टि करते हुए आहता 'अ' के परीक्षण में उसके दाएं हाथ में 3 x .5 इंच की कटी हुई चोट एवं बाँए हाथ में सुपरिफिशियल कटी हुई चोट पाई गई थी जो कि धारदार हथियार से 6 घंटे के भीतर आना बताया गया है। इस संबंध में उनकी एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी.-3 है प्रतिपरीक्षण में इस बात से इनकार किया है कि आहता की चोट स्वकारित हो सकती है। विवेचना अधिकारी 'एच' के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घटनास्थल के मौका नक्शा प्र.पी.-2 तथा रेजर ब्लेड की जप्ती के तथ्य का समर्थन किया गया।

बचाव साक्ष्य :- अभियुक्त 'डी' ने धारा 313 दंप्रसं. के अंतर्गत परीक्षण में उसके विरूद्ध लगाए गए आक्षेपों को इनकार करते हुए बचाव लिया है कि उसकी बहन केद्वारा उससे लिये 10 हजार रूपये ऋण न लौटाना पड़े इस कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियोजक का तर्क :- अभियोजन का तर्क है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला सभी बिंदुओं पर संदेह से परे प्रमाणित किया है तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित किये गये है। अतः आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाये।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :- आरोपी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। फरियादी की साक्ष्य संदेहास्पद है। उसे पुराने ऋण संव्यवहार के कारण झुठा फंसाया गया है, अतः उसे बरी किया जावे।





